फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

मदन पाल उर्फ मदनलाल बनाम रामस्वरूप वगै०

किस्म मुकदमा 88-89 RT Act मिसल नम्बर 40/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/18	वाद वादी/वादनी मदनपाल उर्फ मदनलाल की और से अभिभाषक श्री शिव प्रसाद शर्मा द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26/6/18 को पेश हो।	
	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 18-6-18 केम्प दीगोद को पेश हो।	
18.6.18	पत्रावली लोक अदालत केम्प दीगोद में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद शर्मा मजमें आम में उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 स्वयं उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा मजमें आम में उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया, साथ ही प्रतिवादी नं0 1 ता 4 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष राजीनामा अनुसार वाद डिकी किये जानें में सहमत है तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान वकील श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा प्रमाणित की गई। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 ने अपनी पहचान स्वयं प्रमाणित की तथा पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत किये। वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88—89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर ग्राम कचोलियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 45 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 59 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 99 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 100 रकबा 0.18 हे0, ख0नं0 140 रकबा 2.40 हे0, ख0नं0 150 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 291 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 303	मदन लाल शिवप्रसाद एडवोकेट रामस्वरूप [illegible] [illegible] [illegible]

रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 326 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 340 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 463 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 12 रकबा 4.46 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2–3–4 मीणा जाति की महिला होनें के आधार पर नाम डिलीट किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। साथ ही साथ वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जानें का निवेदन किया। मजमें आम में उपस्थित होकर प्रतिवादी नं0 2 ता 4 द्वारा अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में बिना किसी दाब–दबाव, अपनी स्वेच्छा से छोडनें के कथन किये। पत्रावली का अवलोकन किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन करनें के उपरान्त वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है। चूंकि प्रतिवादी नं0 2 ता 4 द्वारा अपनें स्वत्व वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में त्याग किये जा रहे है, जिससे राजकीय हानि होना संभाव्य है।

लिहाजा मुताबिक सहमति (राजीनामा) उभयपक्ष के वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम कचोलियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 45 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 59 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 99 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 100 रकबा 0.18 हे0, ख0नं0 140 रकबा 2.40 हे0, ख0नं0 150 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.13 हे0, ख0नं0 291 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 303 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 326 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 340 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 463 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 12 रकबा 4.46 हे0 भूमि से प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का नाम डिलीट किया जावें तथा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 से नियमानुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर पालना करें। तदनुसार डिक्री जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया।